

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(4) वित्त/राजस्व/2021

जयपुर, दिनांक:-04.10.2021

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित पुनरावलोकन विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि एवं चयन वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम, 28 (ए) के उप नियम 7(सी) के अन्तर्गत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के कनिष्ठ सेवा संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम सर्व श्री/श्रीमती | वर्ग | वर्ष | रिक्ति की तिथि | जन्म तिथि |
|----------|--|------|---------|----------------|-----------|
| 1. | गोपाल लाल जाट (सेवानिवृत्त) | | 2017-18 | 01.04.17 | 04.02.58 |
| 2. | रामस्वरूप (सेवानिवृत्त) | अजा | 2018-19 | 01.11.18 | 05.06.61 |
| 3. | सुरेन्द्र कुमार जैन | | 2020-21 | 01.04.20 | 03.08.62 |
| 4. | कजोड़ मल गोयल (सेवानिवृत्त) | | 2020-21 | 01.04.20 | 01.07.60 |
| 5. | राजेन्द्र कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त) | | 2020-21 | 01.04.20 | 14.09.61 |
| 6. | भागूराम कूकना | | 2020-21 | 01.04.20 | 15.03.64 |
| 7. | टीकम चन्द जैन | | 2020-21 | 01.07.20 | 07.10.65 |
| 8. | किशन लाल चौहान | | 2020-21 | 01.08.20 | 10.07.64 |
| 9. | देवेन्द्र राज मेहता | | 2020-21 | 01.09.20 | 30.06.65 |
| 10. | सुधीर कुमार सैनी | | 2020-21 | 01.10.20 | 02.01.64 |
| 11. | महेश कुमार गुप्ता | | 2020-21 | 01.10.20 | 01.07.65 |
| 12. | अशोक कुमार जिन्दल | | 2020-21 | 01.11.20 | 02.10.61 |
| 13. | श्री रामकुमार गुप्ता | | 2020-21 | 01.12.20 | 20.08.64 |
| 14. | ठाकरा राम गोरा | | 2020-21 | 01.12.20 | 20.01.65 |
| 15. | जयसिंह डामोर | अजा | 2020-21 | 01.03.21 | 14.03.65 |

पदोन्नत अधिकारियों में से सेवारत अधिकारी अपने वर्तमान पदों को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर क्रमोन्नत/क्रमावन्त मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा वे उक्त तिथि को कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(नीलेश शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4/II) विभाग।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव